भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. ई सी आई/प्रेस नोट/4/2015 दिनांक : 12 जनवरी, 2015

प्रेस नोट

विषय : लोक सभा तथा पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप–निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्संबंधी।

लोक सभा तथा ऊपर उल्लिखित राज्यों की विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियाँ हैं जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है :–

लोकसभा में रिक्ति

क्रम सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	पश्चिम बंगाल	14 – बनगांव (अ.जा.)

विधान सभाओं में रिक्तियाँ

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	अरूणाचल प्रदेश	27– लिरोमोबा (अ.ज.जा.)
2.	गोवा	11– पणजी
3.	तमिलनाडु	139 – श्रीरंगम
4.	पश्चिम बंगाल	88– कृष्णागंज (अ.जा.)
5.	महाराष्ट्र	91– मुखेड
6.	आन्ध्र प्रदेश	167– तिरूपति

आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप–निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है :–

1.	अधिसूचना जारी करना	19.01.2015 (सोमवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	27.01.2015 (मंगलवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	28.01.2015 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	30.01.2015 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	13.02.2015 (शुक्रवार)
6.	मतगणना की तारीख	16.02.2015 (सोमवार)
7.	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	18.02.2015 (बुधवार)

निर्वाचक नामावली

ऊपर उल्लिखित राज्यों जिनमें उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित हैं, की निर्वाचक नामावलियां 01.01.2015 के संदर्भ में अर्हक तिथि के रूप में संशोधित कर दी गई हैं और आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, 05.01.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। आन्ध्र प्रदेश की 167– तिरूपति (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.01.2015 होगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम)

आयोग ने उप निर्वाचनों में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएंगे, सभी उपाय कर लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप–निर्वाचनों में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी। मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो सके, इसके लिए उपरोक्त उप–निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग ने दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं. 437/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अध्यधीन, आदर्श आचार संहिता उस/उन जिले/जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप–निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिले (जिलों) के संबंध में, संघ सरकार पर भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव